क्रम-संख्या–151

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023

भाद्रपद 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 431 / 79-वि-1–2023-2-क-17-2023

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2023

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023) जिससे **आबकारी अनुभाग–2** प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 में नई धारा 8क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"विधिमान्यकरण 8क—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) के किसी उपबंध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।"

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 431(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-17-2023

Dated Lucknow, September 1, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 15 of 2023) promulgated by the Governor. The **Aabkari Anubhag-2** is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN) ADHYADESH, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 15 OF 2023)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of December, 2021.

Insertion of new section 8A in U.P. Act no. 24 of 1964

2. In the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"), *after* section 8, the following section shall be *inserted,* namely :–

"Validation 8A. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court to the contrary, anything done or purporting to be done, and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no. 1 of 2023) from the 24th day of December, 2021 shall be valid and shall be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times."

Amendment of section 22

3. In section 22 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(1) The State government may, by notification in the *Gazette,* make rules to carry out the purposes of this Act."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 544 राजपत्र–2.9.2023–(1708)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 92 सा0 विधायी–2.9.2023–(1709)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।